न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 83 / 2021

सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल, जाति–जाट, निवासी– काकोड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 04.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वंय अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र रणवीर सिंह उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल, जाति–जाट, निवासी–काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की भूमि ख.नं. 1030 / 260 के कुल रकबा 23.36 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.0160 है0 भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र रणवीर सिंह ने जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें किसी प्रकार का पक्का अतिक्रमण नहीं कर रखा। गैर सायल ने पशुओं को बांधने व चारा डालने के लिए अस्थाई रूप से ढारा बना रखा है जो गैर सायल ने हटा लिया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लें० स० 4 के पृष्ठ सं. 18 वर्ष 2020-21 में रूपये 6/- कायम कि.

राजस्व लेखाकार